पत्रांक-बि0प्र0सु0मि0सो0/RTPS-02/2014 925

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक,

पटना।

पटना, दिनांक...26....नवम्बर, 2014

विषय:- लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा के क्रम में पटना सदर अंचल में दाखिल खारिज के आवेदनों के निष्पादन से संबंधित मामले में निम्न अनियमितताएं परिलक्षित हुई है :-

1. आवेदन के निष्पादन में वैसे आवेदन जिनमें दाखिल-खारिज को स्वीकृति दी गयी है उसमें निर्गत संख्या के जगह आवेदन पत्र के आवेदन आई0 डी0 संख्या के आखिरी 4 डिजिट की प्रविष्टि कर दी गयी है। नियमत: शुद्धि पत्र निर्गत संख्या की प्रविष्टि इस कॉलम में होनी चाहिए थी।
2. वैसे आवेदन जिनमें दाखिल खारिज आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। उसमें निर्गत संख्या की जगह 000 की प्रविष्टि कर दी गयी है। नियमत: दाखिल खारिज अस्वीकृति की स्थिति में आवेदक को इसकी लिखित सूचना दी जानी है। निर्गत संख्या में आवेदक को दिये जाने वाली सूचना का पत्रांक तथा दिनांक डाला जाना चाहिए था। इस प्रकार की प्रविष्टि से स्पष्ट है कि आवेदकों को दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत की कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है।
3. दाखिल खारिज अस्वीकृति की स्थिति में अधिकार सॉफ्टवेयर में अस्वीकृति के कारण का भी जिक्र किया जाना आवश्यक है, परन्तु प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि इस प्रावधान का पालन भी नहीं किया जा रहा है।

आई.टी. प्रबंधक के रूप में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि समय-समय पर प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालयों का भ्रमण कर लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों विशेष कर 'अधिकार' सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराएँगे। परन्तु समीक्षा के क्रम में

E:\RTPS-Letter\Letter.docx(Chandan)21

यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है।

उक्त वर्णित समस्याओं के निराकरण के बिन्दु पर आपके द्वारा कृत कार्रवाई के संबंध में अपना स्पष्टीकरण मिशन कार्यालय को दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

26.11.

(आर0 लक्ष्मणन)
अपर मिशन निदेशक